पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या- 153/2024 दिनांक- 12.05.2024

प्रेस विज्ञप्ति

थाना- फूलपुर

पुलिस मुठभेड़ में गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 50 हजार रूपये का इनामिया गोतस्कर शातिर अपराधी दिलशाद घायल व गिरफ्तार; अवैध तमंचे व कारतूस बरामद।

पूर्व की घटना-

दिनांक- 08.03.2023 को तत्कालीन थाना प्रभारी अहरौला योगेन्द्र बहादुर सिंह मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान शाहपुर के पास से 01 ट्रक पर लदे 05 राशि गोवंश व अवैध असलहा व कारतूस के साथ **अभियुक्त दिलशाद** पुत्र समसाद निवासी खुरासो चकशाह काफी, थाना फूलपुर आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ में **अभियुक्त सलमान** पुत्र फिरोज निवासी पीठारपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ व **तालिब उर्फ मो0 तालिम** उर्फ छोटू का नाम प्रकाश में आया था, के सम्बन्ध में थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 61/2023 धारा 3/5ए/8 गोवध निवा0 अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 बनाम 03 नफर पंजीकृत किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर तैयार किये गये गैंग चार्ट को श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ द्वारा अनुमोदित किया गया, जिसके क्रम में दिनांक-19.12.2023 को अभियुक्त **दिलशाद** पुत्र समसाद निवासी खुरासो चकशाह काफी, थाना फूलपुर आजमगढ़ सहित 03 अभियुक्तों के विरूद्ध थाना अहरौला पर मु0अ0सं0- 432/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना थाना प्रभारी फूलपुर द्वारा की जा रही है। अभियुक्त दिलशाद के विरूद्ध ***गोवध. गो-तस्करी, चोरी, हत्या के प्रयास, अवैध असलहा रखने सहित कुल 13 अभियोग*** पंजीकृत है। ***अभियुक्त दिलशाद एक हिस्ट्रीशीटर तथा गैंग डी-34 का सदस्य*** है। अभियुक्त दिलशाद उपरोक्त फरार चल रहा है।

➡पुलिस महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ श्री अखिलेश कुमार द्वारा थाना अहरौला पर मु0अ0सं0- 432/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित गो-तस्कर अपराधी **दिलशाद** पुत्र शमसाद निवासी खुरासो चकशाह काफी, थाना फूलपुर आजमगढ़ लगातार फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु **परिक्षेत्र स्तर पर 50 हजार रुपयें का नकद पुरस्कार घोषित** किया गया था। जिसके क्रम में-

गिरफ्तारी का विवरण (पुलिस मुठभेड़)

आज दिनांक 12-05-2024 की रात्रि को समय लगभग 02.00 बजे प्रभारी निरीक्षक शशिचन्द्र चौधरी मय हमराह को सूचना प्राप्त हुई कि थाना अहरौला के गैगेंस्टर एक्ट में 50 हजार रूपयें का कुख्यात इनामियां, हिस्ट्रीशीटर, डी-34 गैंग का सदस्य शातिर गो-तस्कर अपराधी दिलशाद पुत्र शमसाद उपरोक्त किसी आपराधिक घटना को कारित करने के उद्देश्य से मद्धूपुर कलवारी रोड़ जाने वाले मार्ग पर **कौड़िया प्राइमरी पाठशाला** के पास खड़ा है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी फूलपुर मय हमराह कस्बा फूलपुर से प्रस्थान कर मुद्धूपुर कलवारी रोड़ जाने वाली मार्ग कौड़िया प्राइमरी पाठशाला के नजदीक पहुँचे कि एक व्यक्ति कौड़िया प्राइमरी पाठशाला के पास खड़ा दिखायी दिया, जिसके तरफ पुलिस बल आगे बढ़े कि बदमाश पुलिस बल को देखकर बगल की झाड़ी में जाकर छिप गया, बदमाश ने पुलिस बल द्वारा अपने को चारो तरफ से घिरा देखकर जान से मारने की नियत से पुलिस बल पर फायरिंग किया, उक्त बदमाश को पुलिस बल द्वारा पर्याप्त चेतावनी देने के बाद भी बदमाश द्वारा पुनः फायरिंग की गयी जिससे पुलिस बल द्वारा आत्मरक्षार्थ नियंत्रित फायरिंग की गयी जिसमें बदमाश के दोनो पैरो के घुटने व घुटने के नीचे गोली लगी है, उपचार हेतु सीएचसी फूलपुर भेजा गया।

➡जिसके कब्जे से एक देशी तमंचा .315 बोर व 03 खोखा कारतूस 0315 बोर, तीन जिन्दा कारतूस .315 बरामद किया गया।

➡घायल बदमाश की पहचान दिलशाद पुत्र शमशाद सा0 चकशाहकाफी खुरासो थाना फूलपुर आजमगढ के रूप में की गयी।

➡ गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध मु0अ0स0- 236/24 धारा 307, भा0द0वि0 व 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि साहब मै अपने दोस्तो के साथ गोवंशो को बिहार ले जाकर वध करने हेतु बेचते है,जिससे हम लोगो को अच्छा पैसा मिलता है,जिसे हम सभी लोग आपस मे बांट लेते है। साहब गोतस्करी में थाना अहरौला से जेल गया तथा वही से मेरे खिलाफ गैंगेस्टर का मुकदमा भी लिखा गया है, जिसमे थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ की पुलिस मुझे काफी दिनो से तलाश रही है, मुझे जानकारी हुई कि गैंगेस्टर के मुकदमें में मेरे खिलाफ इनाम घोषित हुआ है।

पंजीकृत अभियोग

1-मु0अ0स0- 236/24 धारा 307, भा0द0वि0 व 3/25 शस्त्र अधि0 थाना फूलपुर आजमगढ़।

गिरफ्तार/घायल अभियुक्त –

1- दिलशाद पुत्र शमशाद सा0 चकशाहकाफी खुरासो थाना फूलपुर आजमगढ (दोनो पैरों में गोली लगी है।)

बरामदगी-

1- एक देशी तमंचा .315 बोर व 03 खोखा कारतूस 0315 बोर, तीन जिन्दा कारतूस .315 बोर

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त दिलशाद पुत्र शमशाद उपरोक्त HS N. 175A, गैंग डी 34 का सदस्य				
1	312/21	304/34 भादवि	कोतवाली	आजमगढ़
2	103/18	379 भादवि	जहानागंज	आजमगढ़
3	187/18	379 भादवि	जहानागंज	आजमगढ़
4	182/18	147/148/149/307/419/420/468 भादवि	फूलपुर	आजमगढ़
5	189/22	3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट	फूलपुर	आजमगढ़
6	206/18	3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट	फूलपुर	आजमगढ़
7	246/20	4/25 आर्म्स एक्ट	फूलपुर	आजमगढ़
8	513/23	8/20 एनडीपीएस एक्ट	फूलपुर	आजमगढ़
9	48/21	3/5ए/8 गोवध0 नि0 अधि0 व 3/11 पशु क्रुरता अधि0	फूलपुर	आजमगढ़
10	61/23	3/5ए/8 गोवध0 नि0 अधि0 व 3/11 पशु क्रुरता अधि0	अहरौला	आजमगढ़
11	62/23	3/25 आर्म्स एक्ट	अहरौला	आजमगढ़
12	432/23	3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट	अहरौला	आजमगढ़
13	236/24	307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट	फूलपुर	आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- प्रभारी निरीक्षक शशिचन्द्र चौधरी थाना फूलपुर आजमगढ़।
2-उ0नि0 अरविन्द कुमार सिंह थाना फूलपुर आजमगढ़।
3-उ0नि0 दिनेश कुमार त्रिपाठी थाना फूलपुर आजमगढ़।
4- का0आलोक कुमार सिंह थाना फूलपुर आजमगढ़।
5-का0 अरविन्द कुमार तिवारी थाना फूलपुर आजमगढ़।